

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोशा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कडाहरपुर

:- आदेश :-

क्र.सं. 25/13
2017/2017

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कडाहरपुर व भूअनि
करीब की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोशा/नायब तहसीलदार कडाहरपुर
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
अनुसरण में ग्राम कडाहरपुर तहसील सपोशा व जिला करीब की जमाबन्दी
संवत् 2012-15 में खाता संख्या 05 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	कडाहरपुर	05	रुशोपुज कुली जार्ड चम्पा	रुशोपुज कुली जार्ड केरा

(14)
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत आपके द्वार
उपखण्ड अधिकारी एवं
सपोशा, जिला-करीब (राज०)
पदेन सहायक कलक्टर,
दिनांक:- 18/11/17

क्रमांक:- राज०/2017/11-13
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोशा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रुशोपुज कुली को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

18/11/17

(14)
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत आपके द्वार
उपखण्ड अधिकारी एवं
सपोशा, जिला-करीब (राज०)

राजस्व लोक अदालत अभियान-2018
रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

सीमान जमी;

निम्नलिखित है सीमान का दादापुर की जमावती नं. 2072-75 के खाना 5
खाने पर अधोडा खुशी की जाती अस्मानजनक चक्र 451 हो डि
अस्मानजनक लेख, इस क्षेत्र में के आदेश, प्रमाण करें

2/11
18/11/18

वतनी)	भूमि	
पुराना	का नाम	
2	3	
7	राज.	जमीन
	सरकार	मुकदमा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट परकारी हल्का दादापुर व 9LR
के खाते पर अधो खुशी की जाती संवत् 2018
के खाता सं. 5 में झंकीर जाती चक्र के स्थान
वैश्या दर्ज करने की सिफारिश की जाती है

तहसीलदार
तहसील सपोटय (करोली)

आदेश

रिपोर्ट परकारी, 9LR. एवं तहसीलदार के आदेश पर
प्रमाण लीकर किया जाता है। होइय प्रकटले जाती है।

प्रमाणिक
(लिखित) प्रमाणिक

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
मांढर जिला-करोली (राज.)